### (दिल्ली असाधारण गजट के भाग—4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांक क्षेत्रे 111 2016

## अधिसूचना

सं० एफ 8(03)/2013/डी०ए०एम०/एम०आर०/७६। विल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी) आजादपुर के साथ—साथ दिल्ली की अन्य कृषि उत्पाद विपणन समितियों में गेट पास का शुल्क / प्रति चक्कर शुल्क जो कि अधिसूचना सं० एफ 8(03)/2013/डी०ए०एम०/एम०आर०/6420 दिनांक 11 जून 2013 को प्रकाशित की गई थी इस संबंध में दिनांक 24 नवम्बर 2016 तक छूट देने में पूर्णतया सन्तुष्ट हैं।

उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

> (साक्षी मित्तल) विशेष सचिव (कृ0वि०) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

#### प्रतिलिपि:-

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

- कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सिचव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग—4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- 10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

जारी

(साक्षी मित्तल) विशेष सचिव (कृ०वि०) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

# (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI-110 054

Dated : 22 11 2016

#### **NOTIFICATION**

No. F 8(03)/2013/DAM/MR/ 76\0 In pursuance of the provisions of Sub-Rule (4) of Rule 15 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rules, 2000, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to exempt the Gate Pass Fee / Per Trip Fee which was notified vide Notification No. F 8(03)/2013/DAM/MR/6420 dated the 11th June, 2013 in respect of APMC (MNI), Azadpur as well as other APMCs in Delhi upto 24th November, 2016.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

> (SAKSHI MITTAL) SPECIAL SECRETARY (AM) GOVT. OF NATIONAL CAPITAL

TERRITORY OF DELHI OF DELHI

No. F 8(03)/2013/DAM/MR/7611-7625 Dated: 22 11 2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

 The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.

3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

- 4. The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.

6. Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi

 The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.

- The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, and Flower Marketing Committee, Gazipur, Delhi
- 11 The Principal Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.

12 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi

- 13 The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 14 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

15 Guard file.

(SAKSHI MITTAL) SPECIAL SECRETARY (AM) GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OF DELHI